<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म0प्र0)

<u>प्रकरण क्रमांक 1031 / 12</u> <u>संस्थित दिनांक -14 / 12 / 12</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म0प्र0

...... अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

01. लालजी उर्फ विजेन्द्र अवधवाल उम्र 40 वर्ष पिता सूरजप्रसाद अवधवाल निवासी रेंहगी चौक मोहगांव थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म०प्र0

..... आरोपी

:<u>:निर्णय::</u> { दिनांक **08 / 05 / 2017** को घोषित}

- 1. आरोपी लालजी उर्फ विरेन्द्र के विरूद्ध भा.दं०सं० की धारा 279, 338 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा 3/181, 39/192 तथा 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.09.2012 को समय 22:00 बजे स्थान ग्राम बंजारीटोला नहर के पास मेन रोड़ थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्मांक एम. पी. 23/डी.—6340 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहत कौशल्याबाई को चोट पहुंचाकर गंभीर उपहति कारित की और उक्त वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन तथा बीमा के चलाया।
- 2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि एम.सी.पी. अस्पलात मलाजखण्ड से दिनांक 25.09.12 को थाना मलाजखण्ड में तहरीर प्राप्त हुई। जिसकी जांच के दौरान आहत कौशल्याबाई गवाह समलीबाई निवासी बंजारीटोला से पूछताछ की गयी जिन्होंने बताया कि घटना दिनांक 25. 09.12 की रात्रि 10:00 बजे आहत कौशल्याबाई, सूरजबाई, समलीबाई, जसवंतीबाई गांववालों के साथ नारायण धोबी की तेरहवी में खाना बनाने गये थे। वहां से खाना बनाकर तीनों पप्पू के साथ वापस घर आ रहे थे तभी

बंजारीटोला नहर के पास मेन रोड़ पर आरोपी लालजी अपनी मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.23 / डी—6340 को मोहगांव की तरफ से तेज रफतार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर कौशल्याबाई को ठोस मार दिया। जिससे वह गिर गयी और उसे चोटें आयीं। अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना की गयी। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर घटनास्थल से क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल जप्त की गयी। दौरान विवेचना गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी चालक से वाहन जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :— (1) क्या आरोपी लालजी ने दिनांक 25.09.2012 को समय करीब
 - (1) क्या आरोपी लालजी ने दिनांक 25.09.2012 को समय करीब 22:00 बजे स्थान ग्राम बंजारीटोला नहर के पास थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.23 / डी. —6340 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षा से चलाकर आहत कौशल्याबाई को चोट पहुंचाकर गंभीर उपहति कारित की ?
 - (3) क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस, रिजस्ट्रेशन तथा बीमा के चलाया ?

ः:सकारण निष्कर्षः:

विचारणीय प्रश्न कमांक 1,2, तथा 3

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. घटना की आहत कौशल्याबाई (अ.सा.०1) का कथन है कि वह आरोपी को जानती है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग दो साल पहले की है। घटना दिनांक को वह सूरजबाई और दो—तीन लोगों के साथ खाना बनाकर पैदल अपने घर वापस अपने साईड से आ रही थी। तभी पीछे से मोटरसाईकिल चालक ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह गिरकर बेहोश हो गयी। घटना के समय मोटरसाईकिल आरोपी लालजी चला रहा था। दुर्घटना में उसे कमर में अस्थिमंग हो गया था। उसका ईलाज मलाजखण्ड ताम्र परियोजना के अस्पताल में हुआ था तथा उसका एक्सरे भी हुआ था। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी क्योंकि वह सड़क के नीचे से अपने साइड से जा रही थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथन हैं कि घटना के समय वाहन पीछे से आया था। जिस कारण वह वाहन चालक को नहीं देख पायी थी तथा घटनास्थल पर बेहोश होने के कारण उसने आरोपी को नहीं देखा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी वाहन नहीं चला रहा था तथा घटना के समय वह स्वयं बीच रोड में चल रही थी जिससे उसकी गलती के कारण दुर्घटना घटित हुई थी। साक्षी के कथनों में अभियोजन कहानी के संबंध में कोई विरोधाभाष नहीं है तथा घटना के संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्ड़नीय है जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 से भी होती है।

- 6. समलीबाई (अ.सा.०३) का कथन है कि वह आरोपी को घटना के समय से जानती है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह कौशल्याबाई तथा सूरजबाई बंजारीटोला से तेरहवी का खाना बनाकर पैदल अपने साईड से घर वापस आ रहे थे तभी आरोपी ने मोटरसाईकिल से पीछे साईड से आकर कौशल्याबाई को टक्कर मार दी और उसे घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गया। दुर्घटना में कौशल्याबाई को कमर तथा पैर में चोट लगी थी। दुर्घटना में आरोपी की गलती थी क्योंकि उसने पीछे से आकर मोटरसाईकिल से कौशल्याबाई को टक्कर मारा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसने घटना के समय आरोपी को नहीं देखा था। परंतु साक्षी ने मोटरसाईकिल का नम्बर बताने में असमर्थता व्यक्त की। उक्त साक्षी ने भी अभियोजन कहानी की पुष्टि की है तथा घटना के संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्डनीय है।
- 7. सूरजबाई (अ.सा.04) का कथन है कि वह आरोपी को घटना के समय से जानती है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग तीन वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को वह कौशल्याबाई तथा समलीबाई बंजारीटोला से तेरहवी का खाना बनाकर पैदल अपने साईड से घर वापस आ रहे थे तभी आरोपी ने मोटरसाईकिल से पीछे साईड से आकर कौशल्याबाई को टक्कर मार दी और

उसे घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गया। दुर्घटना में कौशल्याबाई को कमर तथा पैर में चोट लगी थी। दुर्घटना में आरोपी की गलती थी क्योंकि उसने पीछे से आकर मोटरसाईकिल से कौशल्याबाई को टक्कर मारा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी मोटरसाईकिल को धीमी गति से चला रहा था तथा कौशल्याबाई के बीच रोड में चलने के कारण दुर्घटना घटित हुई थी। उक्त साक्षी ने भी मोटरसाईकिल का नम्बर बताने में असमर्थता व्यक्त की। परंतु साक्षी के कथनों से भी अभियोजन कहानी की पुष्टि की है तथा घटना के संबंध में उसकी साक्ष्य अखण्डनीय है।

त्रिलोकचंद (अ.सा.०६) का कथन है कि वह आरोपी को 08. पहचानता है तथा घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग दो तीन वर्ष पूर्व की है। उसका बंजारीटोला कार्यक्रम में खाना बनाने का काम था। वह सूरजबाई, मुन्नी बाई, समलीबाई तथा अन्य लोग पैदल रोड से मलाजखण्ड की ओर आ रहे थे। तभी बंजारीटोला पुलिया के पास रात्रि करीब 09:30 बजे आरोपी लालजी अपनी मोटरसाईकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और मुन्नीबाई को पीछे से टक्कर मार दिया था जिससे मुन्नीबाई को कमर तथा पैर में चोटें आयी थीं। उसके बाद उन लोगों ने मुन्नीबाई को ईलाज के लिए मलाजखण्ड अस्पताल में भर्ती किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.04 बनाया था, पुलिस ने ६ ाटनास्थल से उसके समक्ष मोटरसाईकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया था एवं उसके समक्ष आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्र.पी.06 बनाया था उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना आरोपी की गलती से हुई थी क्योंकि वह लोग अपने साईड से जा रहे थे तथा आरोपी ने पीछे से आकर ठोस मारी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि पुलिस ने मौकानक्शा प्र.पी.04, जप्ती पत्रक प्र.पी.05 पर थाने में उसके हस्ताक्षर लिये थे तथा गिरफतारी पत्रक प्र.पी.06 पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आहतगण उसके यहां काम करते हैं इसलिए वह न्यायालय में उनके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है। साक्षी ने इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि आरोपी से उसकी दुश्मनी है इसलिए आज वह असत्य कथन कर रहा है। यद्यपि साक्षी ने पुलिस कार्यवाही मौकानक्शा प्र.पी.04, जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तथा गिरफतारी पत्रक प्र.पी.06 के संबंध में विरोधाभाषी कथन किये हैं। तथापि साक्षी द्वारा घटना के संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं जिससे अभियोजन

कहानी की पुष्टि होती है।

09. राजु बेलजी (अ.सा.08) का कथन है कि घटना उसके साक्ष्य देने से लगभग पांच वर्ष पूर्व ग्राम बंजारीटोला नहर के पास शाम के करीब 07—08 बजे की है। उसकी मां मुन्नीबाई काम से वापस लौट रही थी। बंजारीटोला नहर के पास आरोपी लालजी ने अपनी मोटरसाईकिल को लाकर उसकी मां को पीछे से टक्कर मार दिया था जिससे उन्हें कमर पर चोटें आयीं थीं। पुलिसवालों ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से लाल रंग की हीरो होण्डा स्पेलेण्डर कमांक एम.पी.23 / डी—6340 टूटी हालत में चाबी सहित जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था परंतु उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.05 के सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा था तथा घटना के बारे में वह लोगों के बताये अनुसार न्यायालय में कथन कर रहा है। उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता। तथापि उसकी साक्ष्य से घटना के समय सड़क दुर्घटना में उसकी मां आहत कौशल्याबाई को कमर पर चोटें आने की पुष्टि होती है।

डां.संगीता गुप्ता (अ.सा.०५) का कथन है कि दिनांक 25.09.12 10. को एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड में चिकित्सक के पद पर पदस्थापना के दौरान आहत कौशल्याबाई को परीक्षण हेतु राजु एवं त्रिलोकचंद द्वारा लाने पर उसने थाना प्रभारी मलाजखण्ड को प्र.पी.01 की सूचना दी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण कर आहत के सिर के पिछले हिस्से में खून का थक्का, बाएं हाथ की कोहनी में खरोंच के निशान तथा रीढ़ की हड्डी में दर्द होना पाया था। उसके बाद आहत को सिर तथा रीढ़ की हड़डी में चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी तथा आहत को डाक्टर डी.बनर्जी को रिफर कर दिया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी का कथन है कि प्रकरण में संलग्न एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी.03 है जिसके ए से ए भाग पर डां. डी. बनर्जी के हस्ताक्षर हैं। उक्त एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आहत कौशल्याबाई को अस्थिमंग नहीं होने के संबंध में लेख किया गया है। यद्यपि साक्षी द्वारा चोट का समय नहीं बताया गया है। तथापि परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 के अवलोकन से दुर्घटना का समय रात्रि 10:40 बजे दर्शित है जिससे आहत तथा अन्य अभियोजन साक्षियों के कथनों की पुष्टि होती है। उक्त साक्ष्य से आहत को ध ाटना के समय घोर उपहति नहीं होना दर्शित है परंतु उपहति होने की पुष्टि

होती है।

- 11. कपूरदास (अ.सा.02) का कथन है कि वह आरोपी तथा आहत को नहीं जानता। घटना दिनांक 25.09.2013 को वह एम.सी.पी.अस्पताल मलाजखण्ड में वार्डबाय के पद पर पदस्थ था तथा उसकी रात्रि कालीन ड्यूटी थी। उक्त दिनांक को उसे डां. संगीता गुप्ता ने एक लिखित आवेदन प्र.पी.01 थाना मलाजखण्ड में देने हेतु दिया था जो उसके द्वारा पुलिस थाना मलाजखण्ड में दिया गया था। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर पुलिस थाना मलाजखण्ड में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी थी।
- श्यामदेव डोंगरे (अ.सा.०७) का कथन है कि दिनांक 26.09.12 को थाना मलाजखण्ड में पदस्थापना के दौरान दिनांक 25.09.12 को कपूरदास मांगरे वार्डबाय ताम्र परियोजना मलाजखण्ड अस्पताल से डां. श्रीमति संगीता गुप्ता द्वारा लेख की गयी सूचना थाने पर प्राप्त होने पर जांच उपरांत मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.23 / डी-6340 के चालक आरोपी लालजी अवधलाल के विरूद्ध क्रमांक 107 / 12 धारा 279, 337 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया था जो प्र.पी.07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 26.09.12 को कौशल्याबाई, सूरजबाई, समलीबाई उर्फ जयवंताबाई तथा पप्पू उर्फ त्रिलोकचंद के कथन तथा दिनांक 02.10.12 को कपूरदास वार्डबाय के कथन बताये अनुसार लेख किये थे। उक्त दिनांक को मौके पर जाकर पप्पू उर्फ त्रिलोकचंद की निशांदेही पर मौकानक्शा प्र.पी.04 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही गवाह राजु एवं पप्पू उर्फ त्रिलोकचंद के समक्ष एक लाल रंग की मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.23 / डी-6340 क्षतिग्रस्त हालत में जिसमें पच्चीस हजार रूपये की क्षति थी तथा चाबी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 03.10.12 को आरोपी लालजी को गवाह पप्पू तथा कृष्णाबाई के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र. पी.06 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 10.10.12 को जप्तशुदा मोटरसाईकिल का परीक्षण मनोज मेश्राम से करवाया गया था। विवेचना के दौरान आहत की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा–338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया था। आरोपी द्वारा उक्त वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन करवाये एवं बिना बीमा तथा वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया जिससे मो.व्ही.एक्ट की धारा 39 / 192, 3 / 181, 146 / 196 का इजाफा किया गया था। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि त्रिलोकचंद अ०सा०६ ने मौकानक्शा

प्र.पी.04, जप्ती पत्र प्र.पी.05 तथा गिरफतारी पत्रक प्र.पी.06 पर थाने में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर करने के कथन किये हैं एवं जप्ती साक्षी राजु बेलजी अ. सा.08 पक्षद्रोही रहा है जिसने उक्त कार्यवाही से इंकार किया है तथापि विवेचक साक्षी की साक्ष्य विवेचना कार्यवाही के संबंध में अखण्ड़नीय है तथा विवेचना कार्यवाही के संबंध में कोई विरोधाभाष नहीं है जिससे उसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके।

- 13. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त लालजी द्वारा वाहन मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.23 / डी.—6340 को उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलांकर आहत कौशल्याबाई को टक्कर मारकर उपहित कारित की। क्योंकि घटना की आहत कौशल्याबाई अ.सा.01, समलीबाई अ.सा.03, सूरजबाई अ.सा.04 तथा त्रिलोकचंद अ.सा.06 ने आरोपी द्वारा वाहन चलांकर सड़क किनारे पीछे से आहत को टक्कर मारने के अखण्ड़नीय कथन किये हैं। मौकानक्शा प्र.पी.05 से घटनास्थल सड़क किनारे होने की पुष्टि होती है। यद्यपि सूरजबाई अ.सा.04 के अलावा अन्य अभियोजन साक्षियों ने मोटरसाईकिल की गति के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। तथापि सड़क किनारे चल रही आहत को पीछे से जांकर जोरदार टक्कर मारकर चोटिल करने के कृत्य से उतावलेपन और उपेक्षा का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उक्त संबंध में न्याय दृष्टांत— अब्दुल सत्तार विरुद्ध राज्य 1980 (1) एम.पी. डब्ल्यू.एन.181 तथा राज्य विरुद्ध सरदारसिंह 1979 एम.पी.डब्ल्यू.एन.57 अवलोकनीय है।
- 14. विवेचक साक्षी श्यामदेव डोंगरे अ.सा.07 के अनुसार आरोपी द्वारा उक्त वाहन को बिना रिजस्ट्रेशन करवाये एवं बिना बीमा तथा वैध अनुज्ञप्ति के चालन किया जिससे मो.व्ही.एक्ट की धारा 39/192, 3/181, 146/196 का इजाफा किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 में आरोपी की मोटरसाईकिल के नम्बर का उल्लेख है तथा विवेचक साक्षी द्वारा जप्ती पत्रक प्र.पी.05 में भी मोटरसाईकिल के क्मांक का उल्लेख किया गया है जिससे घ टिना के समय वाहन का रिजस्ट्रेशन नहीं होने के संबंध में उपधारणा नहीं की जा सकती। बीमा तथा लाईसेंस के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था कि उसके द्वारा घटना के समय वाहन को बिना लाईसेंस तथा बीमा के नहीं चलाया जा रहा था परंतु उसके द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और न ही साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये हैं। फलतः उक्त संबंध में साक्षी श्यामदेव डोंगरे अ.सा.07 की साक्ष्य पर अविश्वास का कोई कारण दर्शित नहीं होता।

- 15. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त लालजी द्वारा अपने वाहन मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.23 डी.—6340 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत कौशल्याबाई को चोट पहुंचाकर उपहित कारित की एवं वाहन को बिना किसी वैध लाईसेंस तथा बीमा के चलाया।
- 16. फलतः अभियुक्त लालजी को धारा 338 भा.द.वि. तथा मो.या. अधिनियम की धारा 39/192 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। पंरतु धारा 279,337 भा.द.वि. तथा मो.या.अधि. की धारा 3/181, 146/196 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 17. अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि. का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त लालजी द्वारा कारित दोनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं। जिस हेतु पृथक—पृथक दंण्ड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। अतः उसे केवल गुरूत्तर अपराध के लिए दंण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 20.04. 17 से दिनांक 01.05.17 तक अभिरक्षा में रहा हैं जिस हेतु उसे अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
- 18. अतः अभियुक्त लालजी को धारा 337 भा.दं०सं० में दोषी पाकर 500/—(पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मो.या. अधि. की धारा 3/181 तथा 146/196 के अपराध के लिए कमशः 500/—(पाच सौ) रूपये तथा 1,000/— (एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक—एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 19. अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि धारा 357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत परिवादी कौशल्याबाई को अपील अविध पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

- आरोपी प्रकरण में दिनांक दिनांक 20.04.17 से दिनांक 01.05.17 20. तक अभिरक्षा में रहा हैं उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।
- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं। 21.
- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 22. 23 / डी—6340 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावें।
- अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत 23. निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबडा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी All Hard Parent बैहर, बालाघाट (म.प्र.)